



बिहार सरकार,
पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग।
कार्यालय— निदेशक, संजय गाँधी जैविक उद्यान, पटना

निविदा सूचना
सं० 01/2020-21

- 1— विभाग का नाम— पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग।
- 2— विज्ञापनदाता का नाम— निदेशक, संजय गाँधी जैविक उद्यान, पटना।
- 3— निविदा प्राप्त करने की तिथि:— 25-09-2020 को 2:00 बजे अपराह्न तक।
- 4— निविदा खोलने की तिथि:— 25-09-2020 को 3:00 बजे अपराह्न।
- 5— अग्रधन राशि: निदेशक, संजय गाँधी जैविक उद्यान, पटना के पदनाम में राष्ट्रीयकृत बैंक का डिमांड ड्राफ्ट।

क्रम सं०	निविदा का विवरण।	अग्रधन की राशि	जमानत राशि	परिमाण विपत्र का मूल्य	निविदा की अवधि
1	संजय गाँधी जैविक उद्यान, पटना के अन्दर अवस्थित सार्वजनिक उपयोग वाले शौचालयों, खुले प्रसाधन केन्द्र एवं पेयजल आपूर्ति केन्द्र तथा टंकी एवं उसके आसपास की सफाई एवं रख-रखाव।	रु० 25000/- (पच्चीस हजार रुपये)	एक माह की अर्पित राशि	रु० 1000/- प्रति।	01-10-2020 से 30-09-2021

निविदा से संबंधित विस्तृत जानकारी एवं निविदा प्रपत्र निदेशक कार्यालय से कार्यावधि में प्राप्त किया जा सकता है एवं वेबसाइट www.forest.bih.nic.in/www.zoopatna.com पर भी देखा जा सकता है।


निदेशक,
संजय गाँधी जैविक उद्यान, पटना।

भ्रष्टाचारी के दबाव में मत रहें, निगरानी विभाग से मिलकर कहें।

संजय गाँधी जैविक उद्यान, पटना के अन्दर अवस्थित सार्वजनिक उपयोग वाले शौचालयों, खुले प्रसाधन केन्द्र, पेयजल स्थल एवं टंकी की साफ-सफाई एवं रख-रखाव के लिए निविदा शर्त।

संजय गाँधी जैविक उद्यान, पटना के अन्दर सार्वजनिक उपयोग वाले शौचालयों, खुले प्रसाधन केन्द्र एवं पेयजल आपूर्ति केन्द्र एवं टंकी (06 शौचालय, 11 खुले प्रसाधन केन्द्र एवं 36 पेयजल स्थल एवं टंकी) तथा उसके आसपास की एक वर्ष तक साफ-सफाई के लिए दिनांक 25-09-2020 को 2.00 बजे अपराहन तक विहित प्रपत्र में मुहरबंद निविदायें निदेशक, संजय गाँधी जैविक उद्यान, पटना, के पदनाम से आमंत्रित की जाती हैं। निविदाकर्ता 'तकनीकी बिड' तथा 'वित्तीय बिड' दो अलग-अलग लिफाफों में डालकर एवं सीलबंद कर दोनों लिफाफों को एक अलग मास्टर लिफाफे में डालकर सीलबंद करेंगे। तकनीकी बिड के लिफाफे पर 'तकनीकी बिड' तथा उसपर अपना नाम-पता अंकित करेंगे। उसी प्रकार 'वित्तीय बिड' के लिफाफे पर 'वित्तीय बिड' लिखकर अपना नाम-पता अंकित करेंगे। मुख्य (मास्टर) लिफाफा जिसके अन्दर 'तकनीकी बिड' तथा 'वित्तीय बिड' के दोनों लिफाफे रहेंगे उसपर अपना नाम-पता एवं मोबाईल नम्बर सहित कार्य का नाम अंकित करेंगे। तकनीकी बिड में सफल पाये जाने पर संबंधित निविदाकर्ता का वित्तीय बिड खोला जायेगा।

(क) निविदाकर्ता द्वारा तकनीकी बिड के साथ समर्पित किये जाने वाले कागजात:-

- I- निविदाकर्ता द्वारा क्रय किए गए निविदा प्रपत्र से संबंधित मनी रसीद की स्व:हस्ताक्षरित छायाप्रति। वेबसाईट से डाउनलोड किए जाने पर निविदा प्रपत्र का मूल्य रू० 1000/- (एक हजार रुपये) का निदेशक, संजय गाँधी जैविक उद्यान, पटना के पदनाम का डिमांड ड्राफ्ट।
 - II- निदेशक, संजय गाँधी जैविक उद्यान, पटना के पदनाम में रू० 25,000/- (पच्चीस हजार रुपये) सत्यंकार राशि का राष्ट्रीयकृत बैंक का बैंक ड्राफ्ट जो पटना में भुगतये हो।
 - III- पैन कार्ड की स्व:हस्ताक्षरित छायाप्रति।
 - IV- विगत दो वर्षों के आयकर रिटर्न का स्व:अभिप्रमाणित छायाप्रति (2018-19 एवं 2019-20)।
 - V- पता और पहचान से संबंधित प्रमाण-पत्र की स्व:अभिप्रमाणित छायाप्रति।
 - VI- श्रम संसाधन विभाग में निबंधन से संबंधित प्रमाण-पत्र की स्व:अभिप्रमाणित छायाप्रति।
 - VII- पार्टनरशीप डीड की स्व: अभिप्रमाणित छायाप्रति।
 - VIII- कार्य अनुभव से संबंधित प्रमाण-पत्र की स्व:अभिप्रमाणित छायाप्रति।
 - IX- संबंधित पुलिस थाना से निर्गत व्यवहार/आचरण प्रमाण-पत्र।
 - X- राजपत्रित पदाधिकारी द्वारा निविदाकर्ता का अभिप्रमाणित हस्ताक्षर।
 - XI- सरकारी/गैर सरकारी संस्थान के काली सूची में निविदाकर्ता का नाम दर्ज होने/ न होने संबंधी घोषणा-पत्र।
 - XII- अन्य कोई विशेष सूचना।
- नोट:- (सभी अभिलेखों का मूल प्रमाण-पत्र तकनीकी बिड खोलने के समय प्रस्तुत करना होगा)।

(ख) वित्तीय बिड

निविदा प्रपत्र के 'वित्तीय बिड' प्रपत्र-'ख' पर ही निविदाकर्ता साफ-साफ अक्षरों में अपना दर अंकित करेंगे जो अंक एवं शब्द दोनों में होना चाहिए। उनके द्वारा अर्पित दर में आयकर तथा बिक्री कर के देय राशि सम्मिलित होगी जिसकी कटौती विपत्र से की जायेगी। सशर्त एवं त्रुटिपूर्ण निविदा अस्वीकृत कर दी जायेगी।

(ग) अन्य शर्तें:-

1. निविदा की अवधि दिनांक 01-10-2020 से 30-09-2021 (एक वर्ष) तक के लिए होगी।
2. प्राप्त निविदायें दिनांक 25-09-2020 को 3.00 बजे अपराह्न में निविदाकर्ताओं अथवा उनके प्राधिकृत प्रतिनिधियों के समक्ष निदेशक, संजय गाँधी जैविक उद्यान, पटना के कार्यालय कक्ष में निविदा समिति द्वारा खोली जायेगी। यदि कोई निविदाकर्ता अथवा उनके प्राधिकृत प्रतिनिधि निविदा खोलने के समय उपस्थित नहीं होते हैं, तब भी निविदा मान्य समझा जायेगा।
3. तकनीकी निविदा में सफल निविदादाता से निविदा समिति द्वारा सफाई की तकनीकी, सामग्री की गुणवत्ता आदि पर साक्षात्कार किया जायेगा। यह साक्षात्कार तकनीकी निविदा का एक अंश होगा।
4. निविदा का शर्त एवं प्रपत्र निदेशक कार्यालय से रुपये 1000/- (रुपये एक हजार) प्रति की दर से दिनांक 25-09-2020 के 1.00 बजे अपराह्न तक कार्यावधि में प्राप्त किये जा सकते हैं अथवा वेबसाइट www.forest.bih.nic.in/www.zoopatna.com पर देखा /डाउनलोड किया जा सकता है। डाउनलोड किए गए निविदा प्रपत्र का मूल्य रु० 1000/- (एक हजार रुपये) का डिमांड ड्राफ्ट जो निदेशक, संजय गाँधी जैविक उद्यान, पटना के पदनाम में होगा, तकनीकी बिड के साथ संलग्न करना होगा। निविदा प्रपत्र का मूल्य अप्रत्यर्पणीय होगा।
5. निविदाकर्ता को अपनी निविदा के साथ रु० 25,000/- (पच्चीस हजार रुपये) सत्यंकार राशि जमा करना होगा। यह सत्यंकार राशि बैंक ड्राफ्ट के रूप में निदेशक, संजय गाँधी जैविक उद्यान, पटना के पदनाम में होगा।
6. सफल निविदाकर्ता को निविदा की स्वीकृति की तिथि के एक सप्ताह के अन्दर एकरारनामा (एग्रीमेंट) के लिए रु० 1000/- (एक हजार रुपये) मात्र का नन्-जूडिशियल स्टाम्प निदेशक, संजय गाँधी जैविक उद्यान, पटना के कार्यालय में समर्पित करेंगे तथा एकरारनामा पर हस्ताक्षर करेंगे एवं एक माह की अर्पित राशि जमानत राशि के रूप में जमा करनी होगी। जमानत की राशि राष्ट्रीयकृत बैंक के एस०टी०डी०आर० के रूप में होगा जो निदेशक, संजय गाँधी जैविक उद्यान, पटना के पदनाम में प्लेज्ड होना चाहिए। इसके पश्चात् ही कार्यादेश निर्गत किया जायेगा।
7. असफल निविदाकर्ता की सत्यंकार राशि निविदा के अन्तिम निर्णय के बाद आवेदनोपरांत वापस कर दी जायेगी।
8. यदि सफल निविदाकर्ता जमानत की राशि निर्धारित समय पर जमा करने में एवं एकरारनामा पर हस्ताक्षर करने में विफल रहते हैं तो उनके द्वारा जमा की गयी सत्यंकार राशि राज्यसात कर ली जायेगी।
9. संजय गाँधी जैविक उद्यान, पटना, माह मार्च से अक्टूबर तक प्रातः 5:00 बजे से संध्या 6:00 बजे तक तथा नवम्बर से फरवरी तक प्रातः 6:00 से संध्या 6:00 बजे तक खुला रहता है। अतः सभी सार्वजनिक उपयोग वाले शौचालयों, खुले प्रसाधन केन्द्र, पेयजल आपूर्ति केन्द्र एवं टंकी तथा उसके आसपास की सफाई प्रतिदिन सफल निविदाकर्ता को कराना होगा। उक्त अवधि में सफाई कार्य के लिए एक पर्यवेक्षक सहित कम से कम 15 (पंद्रह) सफाई कर्मी, जिसमें महिला टॉयलेट के लिए 06 (छः) महिला सफाई कर्मी रखना अनिवार्य होगा। महिला शौचालय हेतु केवल महिला सफाईकर्मी ही कार्य करेंगी। सफाई कार्य का निरीक्षण उद्यान के पदाधिकारियों द्वारा समय-समय पर किया जायेगा। सफाई संतोषजनक नहीं पाये जाने पर सफल निविदाकर्ता दंड के भागी होंगे एवं उनके विरुद्ध आवश्यक कार्रवाई की जाएगी।

10. प्रत्येक सोमवार को शौचालयों के रख-रखाव हेतु पलम्बर से प्रत्येक नल एवं अन्य उपकरण का नियमित जाँच एवं मरम्मत तथा मशीन द्वारा फर्श की सफाई सहित शौचालय के दीवारों, खिड़कियों, दरवाजों तथा छतों का सफाई किया जाना अनिवार्य होगा। साथ ही उसके आस-पास के क्षेत्रों को सफाई के उपरांत ब्लीचिंग पाउडर/चूना का छिड़काव भी करना होगा।

11. सफल निविदाकर्ता को सफाई के लिए अच्छी गुणवत्ता की सफाई सामग्री यथा Harpic, Phenyl, Salt acid, Floor cleaner, Naphthalene balls, Odonil, Bleaching powder, Lime powder (for outside toilets & urinals) का नियमित प्रयोग एवं हैंडवाश बेसिन पर हैंडवाश की उपलब्धता सुनिश्चित करनी होगी। प्रत्येक माह न्यूनतम लगभग 6000 (छः हजार) रुपये का उपरोक्त सामग्री का क्रय करना होगा तथा भंडार पंजी में दर्ज करना होगा, जिसकी भौतिक सत्यापन वनों के क्षेत्र पदाधिकारी, वनस्पति प्रक्षेत्र/स्थानीय पदाधिकारी द्वारा प्रत्येक माह की जायेगी एवं भंडार पंजी पर उक्त पदाधिकारी द्वारा हस्ताक्षर प्राप्त करना होगा। सफाई सामग्रियों की सुरक्षा की जवाबदेही सफल निविदाकर्ता की होगी।

12. सफल निविदाकर्ता अपना मासिक विपत्र तीन प्रतियों में वनों के क्षेत्र पदाधिकारी, वनस्पति प्रक्षेत्र के माध्यम से अधोहस्ताक्षरी के कार्यालय में जमा करेंगे। विपत्र को वनों के क्षेत्र पदाधिकारी संबंधित माह में सफल निविदाकर्ता द्वारा कराये गये कार्यों पर टिप्पणी लिखते हुए भुगतान के संबंध में अपनी अनुशंसा देंगे।

13. सफल निविदाकर्ता को सफाई कार्य हेतु रखे जाने वाले कर्मियों का ई.पी.एफ. निबंधन कराना अनिवार्य होगा तथा प्रत्येक माह कर्मियों के ई.पी.एफ. में किये गये कटौती का विवरण निदेशक, कार्यालय को समर्पित करना होगा।

14. सफल निविदाकर्ता को श्रम संसाधन विभाग द्वारा समय-समय पर अधिसूचित न्यूनतम मजदूरी का भुगतान अपने सफाई कर्मियों को उनके बैंक लेखा के माध्यम से करना अनिवार्य होगा तथा प्रत्येक माह कर्मियों के भुगतान की गई मजदूरी की छायाप्रति निदेशक, कार्यालय को समर्पित करना होगा।


15. सफल निविदाकर्ता को उद्यान स्थित सभी जल स्रोतों एवं आस-पास के क्षेत्रों की सफाई प्रतिदिन करायेगे तथा पानी के टंकी की सफाई प्रत्येक माह के प्रथम सप्ताह में कराना अनिवार्य होगा तथा सफाई की तिथि स्थलवार अंकित करना होगा।

16. सफल निविदाकर्ता को शौचालयों एवं जल स्रोतों के रख-रखाव हेतु समय-समय पर टूटे या चोरी हुए सामग्रियों का बदलाव यथा नल, फलश, सेंसर लाइट आदि मानक कंपनियों से निर्मित अच्छे गुणवत्ता वाले सामग्रियों से कराना होगा।

17. सफल निविदाकर्ता द्वारा अपने सफाई कार्य में प्रतिनियुक्त प्रत्येक कर्मियों को ब्लू टी-शर्ट जिसके पीठ वाले हिस्से पर सफाई कर्मी पीला रंग से अंकित होगा तथा ब्लू पैंट पहनकर तथा नेम प्लेट लगाकर कार्य करना होगा। निर्धारित यूनिफॉर्म के बिना कार्य पर उपस्थित होने वाले सफाई कर्मी को जू से बाहर कर दिया जायेगा।

18. सफाई कार्य की गुणवत्ता में कमी पाये जाने एवं संतोषजनक नहीं पाये जाने पर निदेशक, संजय गाँधी जैविक उद्यान, पटना को यह अधिकार होगा कि 15 दिनों का नोटिस देकर जाँचोपरान्त सफल निविदाकर्ता के साथ हुए एकरारनामे को रद्द कर दें तथा सफल निविदाकर्ता द्वारा जमा की गई जमानत की राशि को राज्यसात कर लें। यदि सफल निविदाकर्ता, निविदा अवधि के बीच कार्य छोड़ते हैं तो वैसी स्थिति में उनके निविदा को रद्द कर जमानत/प्रतिभूति राशि राज्यसात करने तथा उन्हें कृष्णाचिन्हित करने का पूर्ण अधिकार निदेशक, संजय गाँधी जैविक उद्यान, पटना को होगा।

19. किसी भी विवाद के निपटारा का न्याय क्षेत्र पटना होगा।
20. एकरारनामा अवधि में यदि द्वितीय पक्ष का कार्य संतोषप्रद पाया गया तो इनके साथ वर्तमान दर पर ही अगले एक साल के लिए अवधि विस्तार करने पर विचार किया जा सकता है।
21. निविदा प्रपत्र में निविदाकर्ता इस बात को प्रमाणित करेंगे कि उन्होंने निविदा के सभी शर्तों को पढ़ा/ पढ़वाया और समझा है तथा वे सभी शर्तों को स्वीकार करते हैं।
22. निदेशक, संजय गाँधी जैविक उद्यान, पटना, को बिना कारण बताये किसी भी समय निविदा पूर्ण होने के पूर्व रद्द करने का अधिकार सुरक्षित है।


निदेशक,
संजय गाँधी जैविक उद्यान,
पटना।

दिनांक 01-10-2020 से 30-09-2021 तक संजय गाँधी जैविक उद्यान, पटना के अन्दर अवस्थित सार्वजनिक उपयोग वाले शौचालयों, खुले प्रसाधन केन्द्र, पेयजल स्थल एवं टंकी की साफ-सफाई एवं रख-रखाव के लिए निविदा।

प्रपत्र 'क'

क्रमांक	तकनीकी सूचना	निविदाकर्ता द्वारा समर्पित सूचना
1	निविदाकर्ता द्वारा क्रय किए गए निविदा प्रपत्र से संबंधित मनी रसीद की स्व:हस्ताक्षरित छायाप्रति। वेबसाईट से डाउनलोड किए जाने पर निविदा प्रपत्र का मूल्य रु० 1000/- (एक हजार रुपये) का निदेशक, संजय गाँधी जैविक उद्यान, पटना के पदनाम का डिमांड ड्राफ्ट।	
2	निदेशक, संजय गाँधी जैविक उद्यान, पटना, के पदनाम में रु० 25,000/- (रुपये पचीस हजार) के अग्रधन राशि (सत्यंकार राशि) का राष्ट्रीयकृत बैंक का ड्राफ्ट।	
3	पैन कार्ड की स्व:हस्ताक्षरित छायाप्रति।	
4	वर्ष 2018-19 एवं 2019-20 के आयकर रिटर्न की स्व:अभिप्रमाणित छायाप्रति। मूल प्रति निविदा खोलने के समय प्रस्तुत करेंगे।	
5	पता और पहचान से संबंधित प्रमाण-पत्र की स्व:अभिप्रमाणित छायाप्रति। (मूल प्रमाण-पत्र तकनीकी बिड खोलने के समय प्रस्तुत करना होगा)।	
6	श्रम संसाधन विभाग में निबंधन से संबंधित प्रमाण-पत्र की स्व:अभिप्रमाणित छायाप्रति। (मूल प्रमाण-पत्र तकनीकी बिड खोलने के समय प्रस्तुत करना होगा)।	
7	पार्टनरशीप डीड की स्व: अभिप्रमाणित छायाप्रति। (मूल प्रमाण-पत्र तकनीकी बिड खोलने के समय प्रस्तुत करना होगा)।	
8	कार्य अनुभव से संबंधित प्रमाण-पत्र की स्व:अभिप्रमाणित छायाप्रति। (मूल प्रमाण-पत्र तकनीकी बिड खोलने के समय प्रस्तुत करना होगा)।	
9	संबंधित पुलिस थाना से निर्गत व्यवहार/आचरण प्रमाण-पत्र।	
10	राजपत्रित पदाधिकारी द्वारा निविदाकर्ता का अभिप्रमाणित हस्ताक्षर।	
11	सरकारी/गैर सरकारी संस्थान के काली सूची में निविदाकर्ता का नाम दर्ज होने/ न होने संबंधी घोषणा-पत्र।	
12	अन्य कोई विशेष सूचना।	

निविदाकर्ता का हस्ताक्षर

पूरा पता:-

दिनांक 01-10-2020 से 30-09-2021 तक संजय गाँधी जैविक उद्यान, पटना के अन्दर अवस्थित सार्वजनिक उपयोग वाले शौचालयों, खुले प्रसाधन केन्द्र, पेयजल स्थल एवं टंकी की साफ-सफाई एवं रख-रखाव के लिए निविदा।

प्रपत्र 'ख'

प्रेषक,

नाम:-

पिता का नाम:-

पत्राचार का पता:-

दूरभाष/ मोबाईल संख्या-

सेवा में,

निदेशक,

संजय गाँधी जैविक उद्यान,

पटना।

महाशय,

संजय गाँधी जैविक उद्यान, पटना के अन्दर अवस्थित सार्वजनिक उपयोग वाले शौचालयों, खुले प्रसाधन एवं पेयजल आपूर्ति केन्द्र की साफ-सफाई दिनांक 01-10-2020 से 30-09-2021 तक करने/कराने हेतु मैं रुपये.....(रुपये.....) प्रतिमाह का दर अर्पित कर रहा हूँ।

2- मैंने निविदा के सभी शर्तों को पढ़ा/पढ़वाया और समझा है तथा मैं सभी शर्तों को स्वीकार करता हूँ।

3- संजय गाँधी जैविक उद्यान, पटना के अन्दर अवस्थित सार्वजनिक उपयोग वाले शौचालयों, खुले प्रसाधन केन्द्र, पेयजल आपूर्ति केन्द्र एवं टंकी की साफ-सफाई मेरे द्वारा निविदा शर्त के अनुसार कराई जाएगी।

4- उक्त पते पर जो भी पत्राचार किया जाएगा, मुझे स्वीकार्य होगा।

5- यदि मेरा निविदा स्वीकार किया जाता है तो मैं निविदा शर्त की कंडिका 06 के अनुसार निविदा एक माह की अर्पित राशि जमानत राशि के रूप में जमा करूंगा।

आपका विश्वासी,

घोषणा-पत्र

मैं..... पिता का नाम.....

.....ग्राम..... पो० थाना..... जिला.....

घोषणा करता हूँ कि मैं

(विभाग/कार्यालय का नाम) में से अवधि तक के

लिए शौचालय इत्यादि के साफ-सफाई का कार्य कराया है तथा उस विभाग/कार्यालय द्वारा

मुझे कृष्णचिन्हित किया/नहीं किया गया है।

निविदाकर्ता का हस्ताक्षर

तिथि:-